

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- /xxiv-4/2011-5(1)/2010
देहरादून: दिनांक ०९ जून, 2011

कार्यालय-ज्ञाप

राज्यपाल, संस्कृत के सार्वभौमीकरण हेतु हरिद्वार एवं ऋषिकेश को संस्कृत नगरी घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(पी०सी०शमी),
प्रमुख सचिव।

संख्या-1454/xxiv-4/2011-5(1)/2010तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन/विधान सभा उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. एन०आई०सी०, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह),
अनु सचिव।